



**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी,  
भोपाल - 462016  
फोन: 0755-2463585, 2430154, फैक्स:- 0755-2981055  
ई मेल:- secretary@mperc.nic.in वेबसाईट:- www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (एल. एण्ड आर)/2023/2100

भोपाल, दिनांक 13/09/2023

**: सार्वजनिक सूचना :**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 39 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक), धारा 40 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक), धारा 66 तथा धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित करता है। उक्त विनियम का प्रारूप आयोग की वेबसाईट [www.mperc.in](http://www.mperc.in) पर उपलब्ध है।

वे व्यक्ति, जो उक्त संहिता के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, लिखित में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को दिनांक **06.10.2023** तक प्रेषित कर सकते हैं। सुझाव/आपत्तियां/टीप ई-मेल [secretary@mperc.nic.in](mailto:secretary@mperc.nic.in) पर या फैक्स क्रं. 0755-2981055 पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं। उपरोक्त प्रस्तावित संहिता के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, दिनांक **06.10.2023** तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रु. 15/- (प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह प्रति डाक द्वारा रु. 50/- (रु. 15/- प्रति सेट + रु. 35/- डाक व्यय हेतु) का भुगतान करने पर भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा दिनांक **18.10.2023** को प्रातः **11.00** बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपने मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को देकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गार्ड लाईन्स के अनुसार भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव